State Vigilance Bureau, Gurgaon Range, Gurgaon

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 4 दिनांक 8.02.2013

2.अधिनियम 66–सी, 66 डी सूचना प्रोघोगिक एक्ट धाराएं 420,467,468,471,120 बी भा.द.स व 13 (1) डी.पी.सी एक्ट

3.(क) घटना का दिन वर्श 2009 दिनांक

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 8.2.13 समय 11.05 ए0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 5 समय 11.15 ए0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पष्चिम–दक्षिण लगभग 25ध्30 किलो मीटर

(ख) पता : गुडगांव ग्रामीण बैक खाखा सुलतान पुर ब्लाक फरूक्षनगर।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– सत्यावती उप पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव।

जंच न0 12 दिनांक 11.6.2009/गुडगांव के आधार पर दर्ज की गई।

(क) नाम :

(ख) (पिता/पति का नाम)

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) सरकारी नौकरी (पता) थाना रा0चौ0ब्यूरो, गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. महेन्द्र सिंह यादव, भूतपूर्व षाखा प्रबन्धक,
2. रामकिषन गौड सहायक प्रबन्धक,
3. दीन दयाल सहायक प्रबन्धक,
4. नर सिंह चौहान , मृतक क्षेत्रिय अधिकारी,
5. विजय कुमार,
6. सतपाल लिपिक
7. जगदीष चन्द्र सेवादार सभी कर्मचारी/अधिकारी गुडगांव ग्रामीण बैकं ।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्रीमति सत्यावती उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) गुडगांव बदस्त मु0सि0 हरिओम न0 1243/गुडगांव बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार है '', सेवा में प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव श्री मान जी, जांच क्रमांक 12 दिनांक 11.06.2009/गुडगांव मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 65/32/2009–5 चौ0(1) दिनांक 08.06.2009 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर निदेषक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 10505/आई–2/एस0वी0बी0 दिनांक 17.06.2009 के अनुसार पडताल हेतु गुडगांव मण्डल गुडगांव में प्राप्त हुई थी। जिसमें निम्नलिखित आरोप की पडताल की जानी थी, ''गुडगांव ग्रामीण बैकं षाखा गांव सुलतान पुर ब्लॉक फरूखनगर जिला गुडगांव में श्री नरसिंह चौहान क्षेत्राधिकारी वर्श 2006 से कार्यरत था। जिसने बैंक के ग्राहको की राषियों में वर्श 2008 से मार्च 2009 तक नियुक्ति के दौरान अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के कम्पयूटर पासवर्ड का प्रयोग करके गैर कानूनी तरीके से अन्य ग्राहको के खातों में लोन की स्वीकृति बढाकर लोन राषियों को लोनी के बचत खाता व अन्य लोनियों के बचत खाता में तबदील करके राषि निकासी स्लीप खुद तस्दीक करके खजांची को देकर लोन राषी निकलवाना, कुछ लोनियों से लोन की राषी प्राप्त करके लोनियों की पासबुक में इन्दार्ज करके बैंक के लैजर में लोन राषी का इन्द्राज ना करके राषी खुद गबन करना, ऐसे लोनी जिनके लोन पहले से लम्बित थे और उनके नाम से दोबारा से लोन स्वीकृत करा दिये तथा कुछ ऐसे लोनी जिनका लोन बैंक में लम्बित था परन्तु लोन की एन0ओ0सी0 अपने स्तर पर तैयार करके तहसील में दिलवाकर लोनी की भूमि बैंक से मुक्त करवा दी। इस प्रकार श्री नर सिंह चौहान ने बैंक के कर्मचारी व अधिकारियों से मिलीभगत करके लोनियो के भिन्न–भिन्न खातो से 56 लाख रूप्ये की राषी का गबन किया'' जिसकी पडताल मन डी.एस.पी द्वारा अमल मे लाई गई थी। जांच में पाया गया कि **<u>महेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन मैनेजर :– च्वपदज छव 1</u>**

1. जयमल के लोन खाता संख्या के0सी0सी0 87/05 दिनांक 19.09.2005 में 1,00,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 27.02.2009 को फर्जी तरीके से लोन राषी की सीमा 1,00,000 रू0 और बढाकर 2,00,000 रू0 कर दी गई । जिसमें मिलीभगत से एन0एस0 चौहान के पासवर्ड से ईन्द्राज किया गया और महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।
2. अमरजीत का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 43/06 दिनांक 13.04.2006 में 50,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 21.02.2009 को कम्पयूटर सिस्टम में यह लोन राषी की सीमा फर्जी तरीके से बढाकर 2,00,000 रूपये कर दी गई। जिसमें मिलीभगत एम0एस0 यादव के पासवर्ड से ईन्द्राज किया गया और एन0एस0 चौहान के पासवर्ड से अधिकृत किया गया। इसलिये महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर ने अपने पासवर्ड का गलत इस्तेमाल होने दिया जिसकी वजह से उपरोक्त खातों में हेरा–फेरी की गई।

3. महासिंह के लोन खाता संख्या के0सी0सी0–115/06 दिनांक 21.06.2006 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर हुआ था। दिनांक 21.02.2009 को फ्रजी तरीके से लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई और ष्यामलाल के बचत खाता संख्या 620 में ट्रांसफर कर दिया गया। जिसका ईन्द्राज मिलीभगतएम0एस0 यादव मैनेजर के पासवर्ड से किया गया। और नर सिंह चौहान के पासवर्ड से ईन्द्राज किया गया।

4. हीरा लाल के लोन खाता संख्या एस0सी0सी0–10 दिनांक 12.08.2006 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। जिसमें दिनांक 21.01.2009 को 1,50,000 रूप्ये फर्जी तरीके से लोन के बढा दिये गये इस रकम के लिये जो ऋण सीमा बढाई गई जिसमें डी0डी0 षर्मा सहायक मैनेजर के पासवर्ड से ईन्द्राज करके तथा महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से अधिकृत करके मिलीभगत से राषि का गबन किया गया।
5. हरिओम के लोन खाता संख्या के0सी0सी0 100/07 दिनांक 25.05.2007 में 75,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था दिनांक 27.02.2009 को लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। जिसमें मिलीभगत करके एन0एस0 चौहान ने अपनेपासवर्ड से ईन्द्राज करके महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।

6. राजवती के लोन खाता संख्या एस0बी0एल0– 121 में दिनांक 18.08.2008 को 30,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। उसी दिन लोन राषी की सीमा 2,00,000 रूप्ये और बढाकर 2,30,000 रूप्ये कर दिये गये। जिसका ईन्द्राज नरसिंह चौहान नेमिलीभगत करके महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड का प्रयोग करके राषी को बढा लिया। दिनांक 24.11.2008 को राजवती के लोन खाता एस0बी0एल0 से उसके बचत खाता 3106 में 1,65,000 रू0 जमा किये। जिसका ईन्द्राज नर सिंह चौहान ने एम.एस. यादव से मिलीभगत करके दोनो का पासवर्ड प्रयोग करके राषी को जमा किया गया

7. सुरेन्द्र कुमार के लोन खाता न0 एस0बी0एल0 140 में दिनांक 01.12.2008 को 35,000 रू0 का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 12.01.2009 को फर्जी तरीके से उसके खाता में 1,65,000 रू0 की लितिट बढा दी गई जिसके लिए नरसिंह चौहान ने मिलीभगत करके विजय षर्मा के पासवर्ड से ईन्द्राज किया तथा महेन्द्र सिंह यादव के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।

8. ष्यामलाल के लोन खाता न0 एस0सी0सी0–120 दिनांक 23.12.2008 को 15,000 रूप्ये का लोन मंजूर हुआ था। दिनांक 13.01.2009 को गलत तरीके से लोन राषी 15,000 रू0 से बढाकर 2 लाख रूप्ये कर दिये । लोन राषी बढाते हुये महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर का पासवर्ड प्रयोग करके इन्द्राज किया गया तथा डी0डी0 षर्मा के पासवर्ड से अधिकृत किया गया। राषी बढाने के बाद 1 लाख 84 हजार रूप्ये की राषी दिनांक 13.01.2009 को ग्राहक के बचत खाता संख्या 620 में जमा की गई। तथा उसी दिन महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर व डी0डी0 षर्मा सहायक मैनेजर के पासवर्ड का प्रयोग करके निकाली गई।

9. दिनांक 03.01.2009 को 1,42,200 रूप्ये की राषी समय सिंह के बचत खाता संख्या 309 में से धनपती के बचत खाता संख्या 4247 मेकं जमा की गई। सम्बन्धित क्रेडिट व डेबिट पर्ची का ईन्द्राज कम्पयूटर सिस्टम में महेन्द्र सिंह यादव के पासवर्ड से किया गया और नर सिंह चौहान फील्ड अधिकारी के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।

10. दिनांक 17.01.2009 को 3,43,000 रूप्ये की राषी औमपाल के बचत खाता संख्या 4683 में फर्जी तरीके से समय सिंह के खाता न0 309 में जमा की गई। यह ईन्द्राज कम्पयूटर में नर सिंह चौहान के पासवर्ड से किया गया। व महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।
11. दिनांक 19.01.2009 को 2,93,000 रूप्ये की राषी राम निवास के बचत खाता संख्या 1196 मे से कपटपूर्वक तरीके से औमपाल के बचत खाता संख्या 4683 में जमा की गई। क्रेडिट व डेबिट पर्चीयों का इन्द्राज कम्पयूटर सिस्टम में एन0एस0 चौहान के पासवर्ड से किया गया और महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से अधिकृत किया गया।

च्वपदज छव 2

1. जगमाल सिंह का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 119/05 में लोन राषी 1,02001 रूप्ये बकाया था। जो के0सी0सी0 27/09 में उसी व्यक्ति को 2,00,000 रूप्ये का नया लोन मंजूर कर दिया गया जबकि एक ही कार्य के लिये यदि पहले का लोन बकाया है तो दूसरा लोन नही दे सकते।
2. विरेन्द्र सिंह का लोन खाता के0सी0सी0 23/07 में पहले से ही 51,928 रूप्ये बकाया थे। दिनांक 04.02.2009 को 2,20,000 रूप्ये का लोन खाता के0सी0सी0 11/09 और मंजूर कर दिया गया। जबकि ऐसा नही कर सकता।

3. नरेष कुमार का लोन खाता के0सी0सी0 168/07 में पहले से ही 86,872 रूप्ये लोन के बकाया थें। दिनांक 03.02.2009 को नरेष कुमार को दोबारा लोन खाता के0सी0सी0 06209 से 1,00,000 रूप्ये का लोन मंजूर कर दिया गया। जबकि ऐसा नही कर सकते।
4. सुरेष का लोन खाता संख्या एच0बी0एल0–35 में दिनांक 24.11.2008 को 66,803 रूप्ये का लोन बकाया था जबकि उसको और लोन नही दिया जाना था लेकिन दिनांक 22.12.2008 को सुरेष कुमार के 2 लोन और मंजूर किये गये। एक लोन 3,00,000 रूप्ये जी0जी0बी0जे0के0 के तहत

व दूसरा लोन के0सी0सी0 के तहत 1,00,000 रूप्ये का लोन मंजूर कर दिया गया। जबकि उसके खाता में पहले से ही 66,803 रूप्ये बैंक का लोन बकाया था।

5. महेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन ब्रांच मैनेजर षाखा सुल्तानपुर ने बैक में तैनात जगदीष चन्द्र ;डब्ब्द्ध डमेंदहमत बनउ. च्मवद सदेंषवाहक सह चपडासी को कैषियर का कार्य करने के लिये अपनी तरफ से आदेष दे रखे थे। जबकि जगदीष चन्द की तैनाती बतौर चपडासी थी। उसको कैषियर के कार्य के बारे में जानकारी नही थी। और सतपाल सिंह व विजय कुमार लिपिक/कैषियर भी वही पर तैनात थे लेकिन उनसे कैषियर का कार्य कभी–कभी कराता था।
6. महेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन ब्रांच मैनेजर षाखा सुल्तानपुर ने 220 लोन बिना फिल्ड अधिकारी की रिपोर्ट के मंजूर कर दिये गये। जिनकी कुल राषी 1,42,22,000 रूप्ये है। जबकि बगैर फिल्ड अधिकारी की रिपोर्ट के ब्रांच मैनेजर कोई लोन मंजूर नही कर सकता।

च्वपदज छव 3

1. महेन्द्र सिंह यादव बैंक मैनेजर ने अपनी तैनाती के दौरान ब्रांच का इन्टरनल कन्ट्रोल के प्रति काफी लापरवाही की थी। जैसे की रविवार रिपोर्ट, दैनिक किताब रिपोर्ट , जरनल लेजर और कनसिसटैन्सी रिपोर्ट इत्यादि अगर सही तरीके से चैक की गई होती तो इन खातों में फर्जीवाडा नही होता।

च्वपदज छव 4

1. श्री नर सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कुछ लोनियों का लोन बैंक में लम्बित होते हुए भी लोनियों की भूमि बैंक से रिलीज करवाने बारे अनापति प्रमाण पत्र तैयार करके तहसील में भेजकर लोनियो की भूमि बैक से मुक्त करवा दी परन्तु श्री महेन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन ब्राच प्रबन्धक ने इस प्रकार से मुक्त हुई भूमि मालिक/ लोनी व नरसिंह चौहान के विरूद्व किसी प्रकार की कार्यवाही बारे कोई ठोस कदम नही उठाऐ।

   अतः श्री महेन्द्र सिह, तत्कालीन षाखा प्रबन्धक ने अपनी नियुक्ति के दौरान बिन्दू 1 से 4 तक दर्षाए हुई कंमियों में धोर लापरवाही अनियमित्ता बरती हैः–

   I. अपने अधीन रहने वाले गोपनीय रिकार्ड के प्रति गोपनीयता को भंग करके उजागर किया जाना पाया गया।
   II. श्री सतपाल लिपिक, विजय कुमार लिपिक व श्री जगदीष चन्द्र, एम0सी0पी/सेवादार को समय–2 पर कैषियर का काम देते समय उनके कार्य की देखरेख में कमी रही और न ही प्रतिदिन वितरित राषी को चैक किया गया कि वह सही तरीके से सही हकदार को वितरित हुई है या नही ?
   III. लोनियेां के द्वारा समय–2 पर जमा करवाई गई राषी के बारे रिकार्ड में चैकिग नही की गई तथा लम्बित लोन बारे कोई कार्यवाही नही की गई।
   IV. इसके अतिरिक्त नरसिंह चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान समय–2 पर लोनी/जमाकर्ताओ के खातो में उक्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के पासवर्ड का प्रयोग करके लोन राषी की स्वीकृति बढाकर अन्य बचत खाता में तबदील करके राषी निकलवाकर गबन कर लिया।
   V. काफी लोनी/जमाकर्ताओ की राषी लेकर उनकी पासबुक में तो इन्द्राज कर दिया गया परन्तु बैंक रिकार्ड में कोई इन्द्राज न करके लोन को लम्बित रखकर राषी का गबन कर लिया।
   VI. कुछ लोनी/जमाकर्ता जिनके पहले से लोन लम्बित थे उनको दोबारा से स्वीकृत किये गये। जबकि बैंक मैनेजर को पूर्व लोनों के बारे में गहनता से पडताल करवाकर सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी से एन.ओ.सी. प्राप्त करनी चाहिये थी।
   VII. इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोनी जिनके बैंक में लोन लम्बित होते हुए क्षेत्रीय अधिकारी ने अनापति प्रमाण पत्र तहसील में भिजवाकर भूमि को बैंक से मुक्त करवा दिया। जबकि इस सम्बंध में बैक मैंनेजर को बैक से भूमि रिलिज होने बारे रिकार्ड को गहराई से चैक

करना चाहिए था कि उसकी स्वीकृति के बिना भूमि को किस आधार पर रिलिज करवाया गया ।

VIII. बैंक मैनेजर द्वारा पासवर्ड नरसिंह क्षेत्रीय अधिकारी को बतलाने के बावजूद बदलना चाहिया था परंतु उसने ऐसा न करके अपनी डयूटी में घोर लापरवाही बरती जिसकी वजह से बैंक को लाखों रूप्ये का वितिय नुकसान हुआ।

अतः जांच रिपोर्ट से स्पश्ट है, कि नरसिंह ,क्षेत्रीय अधिकारी तथा एम.एस.यादव, बैंक प्रबन्धक ने मिलिभगत करके अपराध धारा 409/420/ 120 बी– भा0द0स0 व 13 (1) डी, भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा 66सी व 66 डीसूचना एवं प्राघौगिक एक्ट 2000 का अपराध किया है।

<u>राम कृश्ण गौड तत्कालीन सहायक मैनेजर :–</u>

1. राजबीर सिंह का लोन खाता संख्या के0सी0सी0–189/07 दिनांक 23.08.2007 में 75,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया थां दिनांक 25.08.2008 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा फर्जी तरीके से कम्पयूटर सिस्टम में बढाकर 2,00,000 रू0 कर दी गई। तथा 2,00,000 रू0 राम कृश्ण गौड सहायक मैनेजर व विजय कुमार लिपिक कैषियर के पासवर्ड का प्रयोग मिलीभगतकरके निकाली गई।

2. हरिराम का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 129/06 दिनांक 10.07.2006 में 75,000 रू0 का लोंन मंजूर किया गया था। दिनांक 20.11.2008 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने फर्जी तरीके से लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रू0 कर दी गई जिसमें विजय कुमार के पासवर्ड से कम्पयूटर सिस्टम में ईन्द्राज किया गया तथा दिनांक 22.11.2008 को खाता से 2,00,000 रू0 निकाल लिये गये। जो यह राषी निकालने में राम कृश्ण गौड व विजय कुमार लिपिक कैषियर के पासवर्ड का प्रयोगमिलीभगत करके किया गया।

श्री राम कृश्ण गौड सहायक बैंक मैनेजर द्वारा पासवर्ड नरसिंह क्षेत्रीय अधिकारी को बतलाने के बावजूद बदलना चाहिया था परंतु उसने ऐसा न करके अपनी डयूटी में घोर लापरवाही बरती जिसकी वजह से बैंक को लाखों रूप्ये का वितिय नुकसान हुआ। अतः जांच रिपोर्ट से स्पश्ट है, कि नरसिंह ,क्षेत्रीय अधिकारी तथा राम कृश्ण गौड सहायक बैंक मैनेजर ने मिलिभगत करके अपराध धारा 409/420/120 बी– भा0द0स0 व 13 (1) डी, भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा66 सी व 66 डी सूचना एवं प्राघौगिक एक्ट 2000 का अपराध किया है।

3. <u>दीन दयाल षर्मा सहायक ब्रांच मैनेजर सुल्तानपुर :–</u>

1. ष्यामलाल के लोन खाता संख्या के0सी0सी0–120 दिनांक 23.12.2008 में 15,000 रू0 का लोन मंजूर किये थे। दिनांक 13.01.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने फर्जी तरीके से लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रू0 कर दी गई। जिसमें महेन्द्र सिंह यादव मैनेजर के पासवर्ड से कम्पयूटर सिस्टम में ईन्द्राज किया गया। तथा दीन दयाल षर्मा के पासवर्ड से मिलीभगत करके अधिकृत किया गया।
2. हीरा लाल का लोन खाता संख्या एम0सी0सी0–10 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने कम्पयूटर सिस्टम में इस लोन की सीमा को फर्जी तरीके से बढाकर 1,75,000 रू0 कर दिये गये। जिसमें दीन दयाल षर्मा के पासवर्ड से कम्पयूटर सिस्टम में ईन्द्राज किया गया था। व महेन्द्र सिंह यादव के पासवर्ड से मंजूर किया गया था। उक्त क्रम0 से 1 व 2 में नरसिह के द्वारा आर0के0गौड का पासवर्ड प्रयोग किया गया जिस अधिकारी ने अपने पासवर्ड की गोपनीयता को उजागर किया हुआ था।

अतः श्री दीन दयाल षर्मा सहायक बैंक मैनेजर द्वारा पासवर्ड नरसिंह क्षेत्रीय अधिकारी को बतलाने के बावजूद बदलना चाहिया था परंतु उसने ऐसा न करके अपनी डयूटी में घोर लापरवाही बरती जिसकी वजह से बैंक को लाखों रूप्ये का वितिय नुकसान हुआ। अतः जांच रिपोर्ट से स्पश्ट है, कि नरसिंह ,क्षेत्रीय अधिकारी तथा दीन दयाल षर्मा सहायक बैंक मैनेजर ने

मिलिभगत करके अपराध धारा 409,420, 120 बी– भा0द0स0 व 13 (1) डी, भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा 66 सी व 66 डी सूचना एवं प्राघौगिक एक्ट 2000 का अपराध किया है।

4. नरसिह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी

जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पाया गया है कि नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी गुडगांव ग्रमीण बैंक षाखा सुलतानपुर में वर्श 2006 से बतौर क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त था। नरसिंह चौहान के द्वारा बैंक में 60 ऋणियों/जमाकर्ताओं के खातों में नवम्बर 2008 से मार्च 2009 तक विभिन्न तरीकों से 51,94,082/–रू0 का गबन किया गया।

1. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा श्री शाम लाल हिरा लाल सुरेन्द्र श्रीमति राजवती महा सिंह हरी औम, श्री जयमल, राजबीर, हरी राम , अमरजीत राम निवास , समय सिंह व औमपाल के खातो में बैंक में नियुक्त मैनेजर श्री एम.एस.यादव, रामकिषन गौड आंतरिक अधिकारी, डी.डी.षर्मा आंतरिक अधिकारी, सतपाल लिपिक, विजय कुमार कर्लक के पास वर्ड का प्रयोग करके कम्पयुटर में उक्त ऋणी/जमाकर्ताओं के खातों में ऋण स्वीकृति बढाकर बढी हुई राषी ऋणी/जमाकर्ताओं में तबदील करके उनकी फर्जी स्लिप तैयार करके स्वंय की तसदीक उपरांत खजानची से राषी समय–2 पर निकलवाकर खुद ने गबन कर लिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी नरसिंह चौहान ने श्री ढाल सिंह , राजपाल, जगबीर, बालकिषन श्रीमति बबीता श्री कृश्ण, मलखान, फूल सिंह, रामकुमार, मदनपाल, हीरालाल बख्तावर, विजय कुमार, रतन सिंह, हरिराम, सत्यवान व अन्य ऋणी/जमाकर्ताओं से समय–2 पर राषियां प्राप्त करके फर्जी जमा पर्ची के माध्यम से राषी प्राप्त कर ली परंतु प्राप्त की गई राषी को ऋणी/जमाकर्ताओं के खाते में जमा न करके खुद हजम कर गया।
3. क्षेत्रीय अधिकारी ने श्री सुरेष वासी बुढेडा, का ऋण लम्बित होते हुये ऋणी को मिलीभगत करके फर्जी अनापति प्रमाण प. तहसीलदार गुडगांव को भेजकर भूमि को छुडवा दिया तथा उसके बाद दोबारा से दि0 22.12.2008 को 4,00,000रू0 का नया ऋण मंजूर करवा दिया जबकि पहले से ही सुरेष वासी बुढेडा के नाम से लोन लम्बित चला आ रहा है । इसके अतिरिक्त लाल सिंह वासी सुलतान पुर केवल वासी बुढेडा, सतबीर वासी झाझरोला व महेन्द्र वासी साडराना से लोन की राषी क्षेत्रीय अधिकारी नर सिंह चौहान ने प्राप्त करके फर्जी स्लिप जमा राषी बारे जारी कर दी तथा उसके बाद उक्त लोनी /जमाकर्ताओ को भूमि रिलिज करवाने बारे अनापति प्रमाण पत्र देकर तहसीलदार से भूमि मुक्त करवा दी ।

अतः नर सिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने उक्त लोनी /जमाकर्ताओ के खातो में पासवर्ड के माध्यम से स्वीकृति बढाकर, बढी हुई राषी को अन्य बचत खातो में तबदील करके फर्जी निकासी पर्ची बचत धारक खाता के नाम से तैयार करके समय–2 पर राषी का गबन करके ,काफी लानीयों से उनके लोन की राषी एम.एस.यादव, प्रबंधक, दीन दयाल सहायक प्रबधंक , रामकृश्ण गौड, सहायक प्रबंधक, विजय कुमार व सतपाल लिपिक तथा जगदीष सेवादार ने मिलीभगत करके बैक की 5192084 रू0 की राषि का गबन करके बैंक को नुकसान पहुचाया इसके अतिरिक्त बैक प्रबंधक की मिलीभगत से नरसिंह चौहान ने लोनियों की पासबुकों में लोन का इन्द्राज करके राषी को खुद हडप गये जबकि लोन लम्बित चलता रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोनी थे जिनके लोन की राषी प्राप्त करके फर्जी जमा राषी पर्ची जारी करके अनापति प्रमाण पत्र भूमि मुक्त करने बारे जारी करके तहसीलदार से भूमि मुक्त करवा दी जबकि लोन लम्बित थे । कुछ लोनीयो के लोन लम्बित होते हूऐ उनकी भूमि तहसीलदार से मुक्त करवाकर दौबारा से लोन मजूर करवा दिया जबकि पहले का लोन लम्बित था जो ऐसा करके नर सिंह चौहान ने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके अपराध 409,420,467,468,471 120 बी भा.द.स. , 13 (1) डी भ्रश्टाचार अधिनियम 1988 व व धारा 66 सी व 66 डी सूचना एवं प्राघौगिक एक्ट 2000 का अपराध किया है। परन्तु आरोपी की जांच से पूर्व ही मुत्यू हो चुकी है।

सतपाल लिपिक कैषियर :–

1. जयमल का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 87/05 दिनांक 19.05.2005 में 1,00,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 27.02.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई उसी दिन 98,000 रूप्ये हीरा लाल के बचत खाता संख्या 5996 में ट्रासंफर करके खाते से निकाले गये। लेकिन असल खाता धारक

को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

2. अमरजीत का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 43/06 दिनांक 13.04.2006 में 50,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 21.02.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई उसी दिन 1,40,000 रूप्ये हीरा लाल के बचत खाता संख्या 5996 में ट्रासंफर करके खाते से निकाले गये। लेकिन असल खाता धारक को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
3. महासिंह का लोन खाता न0 के0सी0सी0–115/06 दिनांक 21.06.2006 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 21.02.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। उसी दिन 1,70,000 रूप्ये खाते से निकाले गये। लेकिन असल खाता धारक को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
4. हीरा लाल का लोन खाता संख्या एस0सी0सी0/10 दिनांक 12.08.2006 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 21.01.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने इस खाता में लोन राषी की सीमा 25,000 रूप्ये से बढाकर 1,75,000 रूप्ये कर दी गई और उसी दिन 1,50,000 रूप्ये की खाता से निकाल ली गई लेकिन असल खाता धारक को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
5. हरिऔम का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 100/07 दिनांक 28.05.2007 में 75,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 27.02.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई उसी दिन 95,000 रूप्ये ष्याम लाल के बचत खाता संख्या 620 में ट्रासंफर करके खाते से निकाले गये। लेकिन असल खाता धारक को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकरमिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
6. सुरेन्द्र कुमार का लोन खाता संख्या एस0बी0सी0–140 दिनांक 01.12.2008 में 35,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 12.01.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। उसी दिन 1,65,000 रूप्ये खाते से निकाले गये। लेकिन असल खाता धारक को राषी नही मिली। उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
7. ष्यामलाल के लोन खाता न0 एस0सी0सी0–120 दिनांक 23.12.2008 को 15,000 रूप्ये का लोन मंजूर हुआ था। दिनांक 13.01.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने फर्जी तरीके से लोन राषी की सीमा 15,000 रूप्ये से बढाकर 2 लाख रूप्ये कर दी गई । उसी दिन 1,84,000 रूप्ये की राषी खाता से निकाल ली गई जबकि असल खाता धारक ष्याम लाल को राषी ही नही मिली उस समय सतपाल लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा सतपाल कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकरमिलीभगत से श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।
8 राम निवास का बचत खाता संख्या 1196 में से दिनांक 11.02.2009 को श्री नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने फर्जी तरीके से कम्पयूटर में हैक पासवर्ड के माध्यम से 2,50,000 रू0 औमपाल के बचत खाता संख्या 4683 में ट्रांसफर कर दिये गये। कम्पयूटर सिस्टम में सतपाल कैषियर का पासवर्ड प्रयोग किया गया।

उक्त उक्त क्र0म0 से 1 व 8 तक में नरसिह के द्वारा उक्त लिपिक के पासवर्ड का प्रयोग किया गया। जिससे स्पश्ट है, कि उक्त अधिकारी ने अपने पासवर्ड की गोपनीयता को

उजागर किया हुआ था जबकि उसको अपना पासवर्ड बदलना चाहिये था। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी के द्वारा कैषियर का कार्य भी किया गया था जिसके कार्य के दौरान नरसिंह चौहान ने लोनी/जमाकर्ता के खाता से निकासी स्लिप तसदीक करके दी थी परन्तु श्री सतपाल लिपिक ने कम्पयूटर में हस्ताक्षरो का मिलान किये बिना तथा लोनी/जमाकर्ता को निकाली गई राषी न देकर पद का दुरूप्योग करके तथा अपने उच्च अधिकारी को सूचित किये बिना नरसिंह चौहान को दे दी जिससे स्पश्ट है, कि उक्त कर्मचारी की नर सिह चौहान से मिलिभगत थी। अतः श्री सतपाल, लिपिक ने लोनी/जमाकर्ताओ के खातो से राषी क्षेत्रीय अधिकारी के कहे अनुसार हस्ताक्षरो का मिलान किये बिना लोनी/जमाकर्ताओ को न देकर पद डयूटी में घोर लापरवाही बरतकर निकासी राषी नरसिंह क्षेत्रीय अधिकारी को देता रहा । जो उक्त अधिकारी की मिलीभगत के कारण ही नरसिंह क्षेत्रीय अधिकारी 51,94,082 रू0 बैंक से गैरकानूनी तरीके से निकलवाने में कामयाब हो गया। अतः सतपाल कैषियर ने नरसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी से मिलीभगत करके अपराध धारा 409, 420/120–बी भा.द.स. 13(1) (डी) पी.सी. एक्ट का अपराध किया है।

<u>विजय कुमार लिपिक कैषियर :–</u>

1. हरिराम का लोन खाता संख्या के0सी0सी0 129/06 दिनांक 10.07.2006 में 75,000 रूप्ये का लांन मंजूर किया गया था। दिनांक 20.11.2008 को नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने फर्जी तरीके से लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई जिसमें विजय कुमार के पासवर्ड से कम्पयूटर सिस्टम में ईन्द्राज किया गया तथा दिनांक 22.11.2008 को खाता से 2,00,000 रूप्ये निकाल लिये गये। उस समय विजय कुमार लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था तथा विजय कुमार कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकरमिलीभगत से नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

2. हिरा लाल का लोन खाता संख्या एस0सी0सी0/10 दिनांक 12.08.2006 में 25,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 21.01.2009 को नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने इस खाता में लोन राषी की सीमा 25,000 रूप्ये से बढाकर 1,75,000 रूप्ये कर दी गई और उसी दिन 1,50,000 रूप्ये की राषी खाता से निकाल ली गई डेबिट व केडिट बाउचर का ईन्द्राज विजय कुमार के पासवर्ड से किया गया तथा विजय कुमार कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

3. राजबीर सिंह का लोन खाता संख्या के0सी0सी0–189/07 दिनांक 23.08.20007 में 75,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया थां दिनांक 25.08.2008 को नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा फर्जी तरीके से कम्पयूब्र सिस्टम में बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। जिसमें विजय कुमार कैषियर के पासवर्ड का प्रयोग किया गया तथा विजय कुमार कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

4. राजवती का लोन खाता संख्या एस0बी0एल0 121 दिनांक 18.08.2008 में 30,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 24.11.2008 को नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। उसी दिन 1,65,000 रूप्ये की राषी खाता से लिकाल ली गई। जबकि खाता धारक को राषी नही मिली विजय कुमार कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकर मिलीभगत से नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

5. सुरेन्द्र कुमार का लोन खाता संख्या एस0बी0सी0–140 दिनांक 01.12.2008 में 35,000 रूप्ये का लोन मंजूर किया गया था। दिनांक 12.01.2009 को नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी ने लोन राषी की सीमा बढाकर 2,00,000 रूप्ये कर दी गई। जबकि फर्जी तरीके से सुरेन्द्र कुमार के बचत खाता संख्या 8480 में ट्रांसफर कर दिया गया। जिस का ईन्द्राज कम्पयूटर सिस्टम में विजय कुमार के पासवर्ड से किया गया तथा विजय कुमार कैषियर ने राषी उक्त खाता से निकालकरमिलीभगत से नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी को दी थी।

विजय कुमार लिपिक कैषियर के पद पर तैनात था। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी के द्वारा कैषियर का कार्य भी किया गया था जिसके कार्य के दौरान नरसिंह चौहान ने लोनी/जमाकर्ता के खाता से निकासी स्लीप तसदीक करके दी थी परन्तु श्री सतपाल लिपिक ने कम्पयूटर में हस्ताक्षरो का मिलान किये बिना तथा लोनी/जमाकर्ता को निकाली गई राषी न देकर पद का दुरूप्योग करके तथा अपने उच्च अधिकारी को सूचित किये बिना नरसिंह चौहान को दे दी जिससे स्पश्ट है, कि उक्त कर्मचारी की नर सिह चौहान से मिलिभगत थी। अतः विजय कुमार, लिपिक ने लोनी/जमाकर्ताओ के खातो से राषी क्षेत्रीय अधिकारी के कहे अनुसार हस्ताक्षरो का मिलान किये बिना लोनी/जमाकर्ताओ को न देकर पद का दुरूप्योग करके क्षेत्रीय अधिकारी को दे दी अतः विजय कुमार कैषियर ने क्षेत्रीय अधिकारी से मिलीभगत करके अपराध धारा 409, 420,120–बी भा.द.स. 13(1) (डी) पी.सी. एक्ट का अपराध किया है।

<u>जगदीष चन्द्र (MCP) Messanger cum- Peon सदेंषवाहक सह चपडासीः–</u>

1. श्रीमति राजवती का बचत खाता संख्या 3106 मे से दिनांक 24.11.2008 को 1,65,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक श्रीमति राजवती ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,65,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था।जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी।

2. सुरेन्द्र कुमार का बचत खाता संख्या 6480 मे से दिनांक 12.01.2009 को 1,65,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक सुरेन्द्र कुमार ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,65,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था। जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी

3. ष्यामलाल का बचत खाता संख्या 620 मे से दिनांक 13.01.2009 को 1,84,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक ष्याम लाल ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,84,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था।जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी।

4. हीरा लाल का बचत खाता संख्या 5996 मे से दिनांक 21.01.2009 को 1,50,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक हीरा लाल ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,50,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था, जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी

5. ष्यामलाल का बचत खाता संख्या 620 मे से दिनांक 21.02.2009 को 1,70,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक ष्याम लाल ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,70,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच

मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था, जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी

6. फूल सिंह का बचत खाता संख्या 7105 गुडगांव ग्रामीण बैंक षाखा सुल्तानपुर में था दिनांक 04.03.2009 को फूल सिंह ने 11,000 रूप्ये जमा कराने के लिये जगदीष चन्द (डब्द्धजो उस दिन बैंक में कैषियर का कार्य कर रहा था को दिये थे। लेकिन जगदीष चन्द ने फूल सिंह के खाता में वो पैसे जमा नही करायें।

7. हीरा लाल का बचत खाता संख्या 5996 मे से दिनांक 21.02.2009 को 1,40,000 रूप्ये निकाले गये थे लेकिन खाता धारक हीरा लाल ने ना तो पैसे निकलवाये ना ही उसको मिले जबकि 1,40,000 रूप्ये नरसिंह चौहान क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कम्पयूटर में पासवर्ड हैक करके खाता से निकाले गये है। उस दिन जगदीष चन्द सेवादार कैषियर के पद पर महेन्द्र सिंह यादव ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था, जिसने उक्त अधिकारियों से मिलीभगत करके राषी नरसिंह चौहान को दे दी।

जगदीष चन्द सेवादार, ब्रांच मैनेजर के आदेष से बैंक में कैषियर का काम कर रहा था। जिसके कार्य के दौरान क0स0 1 से 5 व 7 नरसिंह चौहान ने लोनी/जमाकर्ता के खाता से निकासी स्लीप तसदीक करके दी थी परन्तु श्री जगदीष चन्द्र एम0सी0पी0/सेवादार ने कम्पयूटर में हस्ताक्षरो का मिलान किये बिना तथा लोनी/जमाकर्ता को निकाली गई राषी न देकर पद का दुरूप्योग करके तथा अपने उच्च अधिकारी को सूचित किये बिना नरसिंह चौहान को दे दी जिससे स्पश्ट है, कि उक्त कर्मचारी की नर सिह चौहान से मिलीभगत थी। जबकि जगदीष चन्द्र, एम0सी0पी0/सेवादार के पद पर नियुक्त था। जिसका कैषियर के नियमो की जानकारी न होते हुए भी कैषियर की सीट पर काम किया जबकि वह उसके योग्य नही था। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी को फूल सिह लोनी द्वारा 11,000/—रू0 खाता में जमा करने के लिए दिये थे परन्तु वह उस राषी का खुद गबन कर गया। जिसकी बैंक प्रबन्धक व नरसिह चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी से मिलिभगत साबित होती है। उक्त कर्मचारी ने कैषियर पद के योग्य न होते हुए भी बैंक प्रबन्धक क्षेत्रीय अधिकारी से मिलिभगत करके उक्त लोनियों/जमाकर्ताओ की राषी उन्हे न देकर नरसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी को दे दी तथा फूल सिंह की राषी बैंक खाता में जमा न करके खुद गबन किया। अतः महेन्द्र सिंह यादव, भू0पू0 षाखा प्रबंधक , राम किषन गौड, सहायक प्रबंधक, दीन दयाल सहायक प्रबंधक, नरसिंह चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी, विजय कुमार व सतपाल लिपिक व जगदीष चन्द्र सेवादार ने गुडगांव ग्रामीण बैंक षाखा सुलतानपुर में नियुक्ति के दौरान नवम्बर 2008 से मार्च 2009 तक 60 लोनियों/ जमा कर्ताओं के खातों में धोखाधडी व आपसी मिलीभगत करके उक्त लोनियों के खातों से 51,94,082 रू0 का गबन करके अपराध धारा 420/467/468/471/120—बी भा.द.स. व 13 (1) डी, भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा 66 सी व 66 डी सूचना प्राघौगिक एक्ट 2000 का अपराध किया है, जो उपरोक्त सभी के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज किये जाने के लिए जांच पूर्ण करके महानिदेषक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकूला कार्यालय में भेजी गई थी, जो अब अवर सचिव चौकसी कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के क्रमांक 65/32/2009—5 चौकसी—1, दिनांक 4.1.2013 व महानिदेषक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकूला के पृश्ठांकन 468/1—2/एस.वी.बी (ह) दिनांक 9.1.2013 के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह यादव भूतपूर्व षाखा प्रबन्धक, रामकिषन गौड सहायक प्रबन्धक, दीनदयाल सहायक प्रबन्धक, नरसिंह चौहान मृतक क्षेत्रीय अधिकारी, विजय कुमार, सतपाल लिपिक व जगदीष चन्द्र सेवादार के विरूद्व धारा 420/467/468/471/120 बी भा.द.स व 13 (1) डी भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा 66 सी व 66 डी सूचना प्रोधोगिक एक्ट 2000 के अनुसार मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर किये जाने के आदेष प्राप्त हुये है, जो तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त मु0सि0 हरिऔम न0 1243/गुडगांव अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके स्पैषल रिपोर्ट सम्बन्धित अफसरान बाला को भिजवाई जाये। तफतीष के दौरान अन्य किसी व्यक्ति/सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिया जावे। मुकदमा हजा की तफतीष मेरे द्वारा अमल में लाई जायेगी, आमदा रिकार्ड साथ सलग्न है। हस्ता/— हिन्दी सत्यावती, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव दिनांक 8.2.2013 एट 11 ए.एम।

अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्र किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की 5 प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जायेंगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया स्पैषल रिपोर्ट सेवा में इलाका मैजिस्ट्रेट साहब, गुडगांव बजरिया आरिन्दा प्रधान सिपाही हरिओम न0 1243/गुडगांव भेजी जा रही है। असल मिषल पुलिस मय आमदा तहरीर, मय आमन्दा रिकार्ड भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी प्रधान सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/– अजायब सिंह नि0
थाना प्रभारी का नाम
नाम : अजायब सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच/10
दिनांक 08.02.2013 समय 6.10 पी0एम0

श्रीमान जी,

नकल मुताबिक असल है।